# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 शैक्षिक अनुभाग (पी.जी. प्रकोष्ठ)

फा.सं.1-2/विवि/प्रशिक्षण/2021-शैक्षिक-।।

दिनांक:

3 0 JUN 2021

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: रेजीडेंट चिकित्सकों हेतु "कोविड-19 प्रबंधन में ई-सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम" प्रशिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनिवार्य अनुपालन संबंधी।

उपर्युक्त विषय पर निदेशक, एम्स, दिल्ली के निर्देश के परिणामस्वरूप, कोविड-19 क्षेत्रों में तैनात तथा भविष्य में इन क्षेत्रों में तैनात होने वाले रेजीडेंट चिकित्सकों के लिए एफ.सी.आई.सी., एस.ई.टी. सुविधा द्वारा "कोविड-19 प्रबंधन में एफ ई-सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम" आरंभ किया गया है। पाठ्यक्रम सामग्री में विडियो, वेबीनार, वर्तमान साक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली का स्वयं पाठ, संक्रमण नियंत्रण व्यवहार संबंधी मानक उपचार प्रोटोकॉल, पी.पी.ई. इस्तेमाल तथा कोविड-19 से ग्रसित रोगियों का नैदानिक उपचार सम्मिलित हैं। केस अथवा समस्या समाधान पर आधारित शिक्षा चर्चा संगोष्ठियों में अतुल्यकालिक रूप से जारी है, जिनमें विभिन्न विभागों के संकाय-सदस्य शामिल होते हैं।

अतः यह सभी संबंधित रेजीडेंट चिकित्सकों के लिए अनिवार्य है कि वे एफ.सी.आई.सी., एस.ई.टी. सुविधा द्वारा संचालित किए जा रहे "कोविड-19 प्रबंधन में ई-सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम" में प्रवेश लें तथा उसे पूरा करें। रेजीडेंट चिकित्सक द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समाप्ति/कार्यमुक्ति पत्र हेतु आवेदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करते समय उन्हें उक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने पर उन्हें अंतिम अनापति प्रमाणपत्र/अस्थायी उपाधि/अनुभव प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

सभी केन्द्रों के प्रमुखगणों/विभागाध्यक्षों/संकाय-सदस्यों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इस संबंध में शैक्षिक अनुभाग को सूचना प्रदान करते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित रेजीडेंट चिकित्सकों के "कोविड-19 प्रबंधन में ई-सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम" में प्रवेश लेने तथा उसे पूरा करने की अनुमति प्रदान करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजीव लालवानी)

कुल-सचिव

# वितरण:

- 1. निदेशक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/परीक्षा/अनुसंधान)/उप-निदेशक (प्रशा.) के निजी प्रधान सचिव।
- 2. सभी केन्द्रों के प्रमुखगण/विभागाध्यक्ष/एककों के प्रभारीगण
- 3. सह-संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/परीक्षा/अनुसंधान) के निजी सचिव।
- 4. प्रभारी -आचार्य, कंप्यूटर सुविधा।
- 5. आर.डी.ए./एस.वाई.एस./एस.यू.।
- 6. एफ.सी.आई.सी., एस.ई.टी. सुविधा।
- 7. कंप्यूटर सुविधाः इस कार्यालय ज्ञापन को एम्स की वेबसाइट पर शैक्षिक नोटिस शीर्षक के अंतर्गत अपलोड करने के अनुरोध सहित।





#### ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029 ACADEMIC SECTION (PG CELL)

No.F.1-2/Misc./Training/2021-Acad.II

Dated: ., 3 D JUN 2021

### OFFICE MEMORANDUM

Training for "E-Certificate Course in COVID-19 Managements" for Subject: Resident Doctors - Mandatory compliance of training course regarding

Consequent upon the direction of the Director, AIIMS, Delhi on the subject cited above, an E-Certificate Course in COVID-19 Management has been started by the FCIC, SET Facility for the Resident Doctors posted in the COVID-19 areas and also who are to be posted in these areas in the future. The course material consists of Videos, Webinars, Self-Reading current evidence-based practices, standard treatment protocols regarding infection control practices, PPE use and clinical management of patients with COVID-19. Learning based on problem or case solving continues in an asynchronous manner in the Discussion forums which involves faculty from various departments.

Therefore, it is mandatory to all the concerned Residents Doctors to join and complete the "E-Certificate Course in COVID-19 Management" which is being conducted by FCIC, SET Facility. While completion of PG course/ applying for relieving/ submission of NOC by the Resident Doctor, he/ she would have to produce completion certificate in said course. In absence of production of said certificate, final NOC/ Provisional Degree/ Experience Certificate will not be issued to him /her.

All the Chief of Centres/ Head of the Departments/ Faculty members are hereby requested to grant permission to the concerned Residents Doctors under their administrative control to join and complete the "E-Certificate Course in COVID-19 Management" under intimation to Academic Section in this regard.

This issues with the approval of the Competent Authority.

REGISTRAR

#### Distribution:

- 1. PPS to Director/Dean(Acad./Exam/Research/DD(A)
- 2. All Chief of Centres/HoDs/ Chief of Units
- 3. PA to Associate Dean (Acad./Exam/Research)
- 4. Prof. In-Charge, Computer Facility
- 5. RDA/SYS/SU
- 6. FCIC, SET Facility
- Computer Facility: With the request to upload this O.M. in AIIMS's website under head Academic Notices
- 8. Hindi Section: With the request to translate this O.M. in Hindi.

MS Amata Seini